

प्रारूप-स

11 अखिल भारतीय अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकांरियों पर आरोपित अर्धदण्ड का विवरण

माह का नाम: सितम्बर, 2025

पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही

अव्युक्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	राज्य विभाग, मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11.07.2018	रु0 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक-11.07.2018 द्वारा बर्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बागलपुर, मुरादाबाद पर बादी की सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति रु0-5000.00 का अर्धदण्ड आदेश दिनांक 11-07-2018 को पारित किया गया। प्रत्युक्त प्रकरण में मेरे द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्मान-ए मुरादाबाद को पत्र सं0 2456 दिनांक 10-09-2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि माननीय सूचना आयोग द्वारा वाद के निस्तारण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये, जिसके तम में संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्मान-ए मुरादाबाद द्वारा पत्र सं0 279 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन श्री रमाशंकर, उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, मुरादाबाद के विरुद्ध मा0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरूपित अर्धदण्ड को अपने आदेश दिनांक 03.08.2021 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आदेश दिनांक 03.08.2021 की छायाप्रति संलग्न। अधिरूपित अर्धदण्ड के सम्बन्ध में माननीय वित्तधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्धदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है जो मा0 राज्य सूचना आयोग में नम्रित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद को पत्र सं0 140 दि0 09.05.2018 एवं पत्र सं0 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यमूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ को पत्र सं0- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्धदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं। प्रत्युक्त प्रकरण में मेरे द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्मान- बिजनौर को पत्र सं0 2457 दिनांक 10-09-2025 एवं अनुस्मारक पत्र सं0 2715 दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि माननीय सूचना आयोग के समक्ष मांगी प्रत्यावेदन की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए कोई से न होने पर आरोपित अर्धदण्ड की कटौती शेषन से कराने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।	अव्युक्ति
01	राज्य विभाग, मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11.07.2018	रु0 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक-11.07.2018 द्वारा बर्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बागलपुर, मुरादाबाद पर बादी की सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति रु0-5000.00 का अर्धदण्ड आदेश दिनांक 11-07-2018 को पारित किया गया। प्रत्युक्त प्रकरण में मेरे द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्मान-ए मुरादाबाद को पत्र सं0 2456 दिनांक 10-09-2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि माननीय सूचना आयोग द्वारा वाद के निस्तारण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये, जिसके तम में संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्मान-ए मुरादाबाद द्वारा पत्र सं0 279 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन श्री रमाशंकर, उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, मुरादाबाद के विरुद्ध मा0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरूपित अर्धदण्ड को अपने आदेश दिनांक 03.08.2021 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आदेश दिनांक 03.08.2021 की छायाप्रति संलग्न। अधिरूपित अर्धदण्ड के सम्बन्ध में माननीय वित्तधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्धदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है जो मा0 राज्य सूचना आयोग में नम्रित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद को पत्र सं0 140 दि0 09.05.2018 एवं पत्र सं0 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यमूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ को पत्र सं0- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्धदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं। प्रत्युक्त प्रकरण में मेरे द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्मान- बिजनौर को पत्र सं0 2457 दिनांक 10-09-2025 एवं अनुस्मारक पत्र सं0 2715 दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि माननीय सूचना आयोग के समक्ष मांगी प्रत्यावेदन की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए कोई से न होने पर आरोपित अर्धदण्ड की कटौती शेषन से कराने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।	अव्युक्ति
02	राज्य विभाग, मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद	श्री दिव्यमूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-2 नजीबाबाद।	16.04.2018	रु0 25000.00	अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर मुरादाबाद महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र सं0 1420 दिनांक 04.10.2025 द्वारा उपायुक्त राज्य कर खण्ड-4 मेरठ को पत्र प्रेषित करते हुए मा0 सूचना आयोग के समक्ष नम्रित बाद की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।	शून्य	माननीय सूचना आयोग द्वारा अधिरूपित अर्धदण्ड समाप्त, कोई कार्यवाही वांछित नहीं	शून्य

03	राज्य वर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० कमि० (प्रशा०) वा०क० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	60	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बाँदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदन पर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा अभी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बाँदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-1/2482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो अभी वर्तमान में लम्बित है।
----	----------	--	------------	----------	----	----	--	--

नोट:- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 1445/28.09.2024, 1952/22.11.2024, 2621/20.01.2025, 254/29.04.2025 एवं 557/27.05.2025 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) राज्य कर, गजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के समक्ष दायर अपील क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है।

(हस्ताक्षर)
(डाली)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।